न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **445/2018**

GCMS NO. : **2018/00311**

–:: प्रार्थी ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

1. पुखराज पुत्र धन्नराज जाति– माली, निवासी बेरा पाबूसर ग्राम जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

1. शांतिदेवी पत्नि चम्पालाल जाति– माली, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली। हाल निवासी ग्राम बर तहसील रायपुर जिला– पाली।
2. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः 27/09/2018**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चावण्ड दान बारहठ, श्री एम. एस. पठान, अधिवक्ता, अप्रार्थीया।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 18/02/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण में सायल एवं गैरसायलान की शामलाति खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 675 रकबा 66–05 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 679 रकबा 14 बिस्वा, एवं खसरा नम्बर 680 रकबा 03 बिस्वा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी के साथ सायल की अन्य आराजी भी आई हुई है। उक्त आराजी बाबत न्यायालय हाजा में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र विचाराधीन है। जो वादपत्र सायल व अन्य खातेदारों के मध्य विचाराधीन है जिसके वादपत्रं संख्या 90/2018 है एवं तारीख पेशी दिनांक 11.10. 2018 को नियत है। उक्त वादपत्र पेश करते समय सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश किया जो दिनांक 26.06.2018 को पक्षकारान की सहमति से राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बाबत निर्णीत हो गया। नकल निर्णय प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। विवादित आराजी जो कि सायल व अन्य सहखातेदारों के बीच में मौके [illegible] हुई है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने से सायल व अन्य [illegible] ने बंटवाड़ा बाबत वादपत्र पेश किया था। गैरसायलान जो कि इस आराजी [illegible] करने के बाद अस्तित्व में आया परन्तु इससे पहले ही पू[illegible]ल के बीच में मौके पर बंटवाड़ा हो गया, अब जबकि जमीनों की कीमतें बढ जा[illegible] गैरसायलान जो कि सायल की जमीनों में दखलंदाजी व हस्तक्षेप करना चाह रहा है एवं सायल का मौक पर जहां पर कब्जा काश्त है तथा जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से वर्णित है वहां पर सायल अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

अब गैरसायलान जबरदस्ती प्रार्थना पत्र के साथ वर्णित नजरी नक्शे में जो कि सायल की आराजी है में जबरदस्ती दखलंदाजी व दस्तंदाजी कर मौके पर उक्त आराजी को हड़प करना चाहता है। जबकि गैरायलान की जमीन अन्यत्र है। परन्तु जमीन की कीमते बंढ जाने से गैरसवायलान की नियत खराब हो गई एवं वह सायल की जमीन में दखलंदाजी कर विवाद कर रहे है। इसलिए गैरसायलान को मौके की स्थिति में रदो बदल करने से रोके जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। दिनांक 31.08.2018 को गरसायलान जबरदस्ती लाठी य धनबल के आधार पर सायल की आराजी में खड़ी फसल में करने लगा, एवं मौके पर खड़ी फसल में खडाई करने लगा एवं मौके पर कब्जा करन लगा तो सायल ने गरसायल को मना किया कि उक्त आराजी उसके कब्जे काश्त की एवं बंटवाडा का वादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है एवं वह यहां पर उसकी आराजी में दखलंदाजी नहीं करे परनतु गैरसायलान ने एलानिया कथन किया कि वह उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। जबकि नजरी नक्शे में वर्णित आराजी जो कि लाल स्याही से दर्शाई गई है उक्त आराजी पर एक मात्र सायल का कब्जा व काश्त है। यदि गैरसायला अपने गैर कानूनी मन्सूबों में कामयाब हो जाते है तो सायल को असीम क्षति होगी एवं वह अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा। जिसका आंकन मुद्रा में भी नहीं किया जा सकेगा तथा गैरसायलान द्वारा सायल को उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने व मौके पर बाधा व दखलंदाजी करेगे जिससे मौके पर विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिग्स होगी तथा सायल अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा तब सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल की उक्त भूमि में एक व अधिकार के बखूबी कब्जा प्रमाणित होने से प्रथम दृ ष्टिया मामला सावित है। यदि गैरसायलान ने सायल को उनकी भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर दिया, तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता है इसलिए सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में प्रमाणित है, तब यह प्रार्थना पत्र वावत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के प्रस्तुत है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायला विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी की जावे कि सरहद मौजा जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 675, 679, 680 में सायल नजरी नक्शे के अनुसार काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार व परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी, बाधा अड़चन पैदा नही करे व मोके पर कोई खुर्द बुर्द नही करे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये [illegible] करावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के [illegible] फरमावें, [illegible] खर्चा मुकदमा सायला को गैरसायलान से दिलावें। के पक्ष में हो जो कि [illegible] कोई सहायता जो सायला गैरसायलान से दिलाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:32 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीया शान्तिदेवी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या एक शान्तिदेवी की और से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

है:- प्रार्थना पत्र का पद संख्या एक में वर्णित यह कथन सही है कि सरहद मौजा जैतारण में सायल व गैरसायल सं. दो से छः की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं गैरसायल सं. एक व सात, आठ की खरीद शुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 678 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 681 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 675 रकबा 66 बीघा 05 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 679 रकबा 00-14 बिस्वा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 680 रकबा 00-03 बिस्वा किस्म गैर मु0बेरा कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 115-02 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि दर्ज होने का कथन सही है। उक्त कृषि भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि 1/4 हिस्सा यानि कुल भूमि में से 1/12 हिस्सा गैरसायल संख्या एक शान्तिदेवी बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। सायल द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2018 को पक्षकारान की आपसी सहमति से राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बाबत् निर्णित होने के तथ्य सही है। जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सरहद मौजा जैतारण में वाके खसरा नम्बर 675 रकबा 69 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 678 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 679 रकबा 00-14 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 00-03 बिस्वा, खसरा नम्बर 631 रकबा 47-19 बीघा कुल खसरा नम्बर 5 कुल क्षेत्रफल 126-13 बीघा भूमि में से रकबा 11-11 बीघा भूमि मेगा हाईवे हेतु राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई है तथा शेष भूमि पर सायल एवं गैरसायल अपने हक हिस्से की भूमि पर बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। वादग्रस्त भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि 1/4 हिस्सा यानि कुल भूमि में से 1/12 हिस्सा की भूमि जरिए लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 27.02.2004 को खरीद की थी, तब से बतौर खरीददार व रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के वादग्रस्त कृषि भूमि पर गैरसायल सं. एक अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है व शांतिपूर्वक बिना किसी रोक-टोक के काश्त उपयोग-उपभोग कर रही है। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायल नामंजूर करता है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या दो में वर्णित यह कथन सही है कि वादग्रस्त आराजी जो कि सायल व अन्य सह खातेदारों के बीच में मौके पर वर्षो पूर्व आपस में बंटी हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने से सयल व अन्य हिस्सेदारों ने बंटवाड़ा वाद पत्र पेश किया है। गैरसायलान जो इस आराजी में खरीद करने के बाद अस्तित्व में आने, परन्तु इससे पहले ही पूर्ववर्ती खातेदारों एवं सायल के बीच में मौके पर बंटवाडा हो गया, जमीनों की कीमते बढ़ जाने से गैरसायलान जो कि सायल की जमीनों में दखलादाजी व हस्ताक्षेप करने, सायल का मौके पर जहां पर कब्जा काश्त होने के तथ्य पूर्णतया असत्य है गैरसायल की हाईवे के चिपती भूमि को हड़पने की नियत से झूठे कथन आयत किये गये है। गैरसायल सं. एक शांतिदेवी को उसके [illegible] ने जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 27/02/2004 को की थी, तब [illegible] बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के गैरसायल काबिज है व [illegible] रही है। इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी [illegible] वर्णित भूमि पर सायल अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करने के [illegible] पूर्णतया असत्य है जबकि सायल द्वारा वाद पत्र के साथ कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही सायल पुखराज एवं गैरसायलान की आपसी सहमति से दिनांक काश्त3 26.06.2018 को वादग्रस्त भूमि का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निर्णय चुका है, उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत जाकर मनगढंत तथ्यों के आधार पर दुबारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। गैरसायल जबरदस्ती प्रार्थना पत्र के साथ वर्णित नजरी नक्शे में दर्शाई भूमि को हड़पने के कथन पूर्णतया असत्य है जिसे गेरसायल नामंजूर करती है। सायल पुखराज गैरसायल के हक हिस्से की मेगा हाईवे के चिपती बहुमूल्य भूमि को हड़पने की नियत से मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज के है। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायल नामंजूर करती। प्रार्थना पत्र का पद संख्या तीन में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायल नामंजूर करती है। दिनांक 31.08.2018 को गैरसायलान जबरदस्ती लाठ व धनबल के आधार पर सायल की आराजी में खड़ी फसल में नुक्शान करने, नौके पर खड़ी फसल में खड़ाई करने व मौके पर कब्जा करने के तथ्य पूर्णतया गलत व असत्य है जिसे गैरसायल नामंजूर करती हैं गैरसायल सं. एक अपने हक हिस्से की भूमि पर बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राज्य सरकार द्वारा नेशरल हाईवे हेतु अवाप्त भूमि के चिपती गैरसायल की खातेदारी भूमि को छलपूर्वक हड़पने की नियत से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा भी वास्तविक मौका स्थिति से विपरीत प्रस्तुत किया गया है जबकि नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाई भूमि पर सायल का कोई कब्जा काश्त नहीं है सायल को गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि में दखलांदाजी, बाधा, रोकटोक करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौके पर विवाद बढने, मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स होने तथा सायल अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम होने के तथ्य जानबुझकर गलत व असत्य आयत किये गये है। सायल गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या चार में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायल नामंजूर करती है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात् एवं मावे पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल के हक में कोई प्रथम दृष्टिया मामला एवं सूविधा का सन्तुलन साबित नहीं है। यदि सायल द्वारा गैरसायल के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में दखलांदाजी, बाधा, बेदखल कर कब्जा करने या खुर्दबुर्द करने की सूरत में अपूर्णीय क्षति गैरसायल को होने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिए सायल गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:32 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम दृष्टयां मामला :- प्रार्थी के कथन अनुसार [illegible] आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीया की सयुंक्त शामलाती है जिसके [illegible] बाबत् विचाराधीन है। जमाबन्दी ग्राम जैतारण के अनुसार वादग्रस्त आराजी 675 रकबा 66-05 बीघा एवं खसरा संख्या 679 रकबा 00-14 बिस्वा, खसरा संख्या 680 रकबा 00-03 बिस्वा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीया के अलावा अन्य सहखातेदार भी है। सहखातेदारान् के मध्य विभाजन के बिना यह नहीं माना जा सकता कि अविभाजित भूमि में से कौनसा हिस्सा किस

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदार का है। प्रार्थी यह साबित करनें सफल नहीं हुआ कि प्रथम दृष्टया मामल किस प्रकार से उसके पक्ष में निहित है। अतः बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का सतुंलनः– उपर्युक्त पूर्व विवेचन के अनुसार वादग्रस्त आराजी सयुंक्त शामलाती भूमि है, अतः खातेदारान् के मध्य अंतिम रूप से विभाजन हुये बिना यह नहीं माना जा सकता कि शामलाती भूमि का कौनसा विशिष्ट भाग किस खातेदार का है। जिसका कि वह उपयोग एवं उपभोग कर रहा हो। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि यह विश्वास करने का कारण हो कि सुविधा का सतुंलन उसके पक्ष में निहित हो। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुये है, साथ प्रार्थी यह साबित करनें में असफल रहा है कि यदि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो उसे किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होनें की प्रबल आशंका विद्यमान है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त सयुंक्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी है के सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में एवं अन्य सहखातेदारान् में से केवल एक अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत एवं उचित नहीं होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है। अतः इसे खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निर्ष्कषतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:32 IST
Reason: SelfAttested